झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

आदेश

संख्या :– 15/मु01–221/2023..218 विधि..../ रांची, दिनांक 24/07/2026...

माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची द्वारा डब्ल्यू०पी०(एस०) संख्या 5570/2023 किरण कुमारी हेम्ब्रम एवं अन्य–बनाम–झारखंड सरकार एवं अन्य में दिनांक 24.06.2026 को न्यायादेश पारित किया गया जिसका अनुपालनीय अंश निम्नवत् है :–

"Looking to the overall facts and circumstances of the case and in the factual background that the teachers of other schools are getting MACP benefits and the Government is also looking into this matter; as such, at this stage, the instant writ application, is hereby, disposed of by directing the concerned respondent to take a final decision on the discussion with regard to payment of MACP benefit to the primary teachers also, for which, they have already initiated the process, reference of which is mentioned in the supplementary affidavit which has not been denied by the respondents.

Accordingly, the instant application stands disposed of by giving direction to expedite the matter and take a final decision with regard to the issue of payment of MACP to the petitioners who belong to the primary schools. The entire exercise shall be completed within a period of 16 weeks from the date receipt of copy of this order."

पारित न्यायादेश के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई हेतु विभागीय आदेश ज्ञापांक 970 दिनांक 15.06.2026 द्वारा निदेशक, प्राथमिक शिक्षा की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति (विभाग के अतिरिक्त वित्त विभाग तथा विधि विभाग के प्रतिनिधि को सम्मिलित करते हुए) गठित करते हुए दिनांक 24.06.2026 को बैठक की गई।

उक्त बैठक में सभी सदस्यों द्वारा पारित वर्णित न्यायादेश, वाद में दायर प्रतिशपथ–पत्र/पूरक प्रतिशपथ–पत्र का अध्ययन किया गया।

समिति द्वारा इस संबंध में अन्य दस्तावेजों का भी अवलोकन किया गया, जिसमें निम्न तथ्य उल्लेखित है :–

(i) राज्य के प्रारंभिक शिक्षकों को झारखंड राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक प्रोन्नति नियमावली 1993 वर्तमान में विभागीय अधिसूचना संख्या 909 दिनांक 01.07.2025 द्वारा प्रारंभिक विद्यालय के शिक्षकों को प्रोन्नति दिये जाने हेतु झारखंड राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक प्रोन्नति नियमावली 2025 गठित की गई है। निहित प्रावधानों के अंतर्गत प्रोन्नति/वित्तीय उन्नयन का लाभ दिया जाता है, जिसका वेतनमान/ग्रेड पे निम्नवत् है :–

(*i*) **"ग्रेड–1"** से अभिप्रेत है, इंटर प्रशिक्षित सहायक शिक्षक, मूल वेतनमान् (रु. 9300–34800, ग्रेड पे.–4200/–, सप्तम् पुनरीक्षित **वेतनमान् स्तर – L/6**)।

(*ii*) **"ग्रेड–2"** से अभिप्रेत है, इंटर प्रशिक्षित सहायक शिक्षक, वरीय वेतनमान (रु. 9300–34800, ग्रेड पे.–4600/–, सप्तम् पुनरीक्षित **वेतनमान् स्तर – L/7**)।

(*iii*) **"ग्रेड–3"** से अभिप्रेत है, इंटर प्रशिक्षित सहायक शिक्षक, प्रवरण वेतनमान् (रु. 9300–34800, ग्रेड पे.–4800/–, सप्तम् पुनरीक्षित **वेतनमान् स्तर – L/8**)।

(*iv*) *"**ग्रेड–4**" से अभिप्रेत है, स्नातक प्रशिक्षित सहायक शिक्षक, सामाजिक विज्ञान (वाणिज्य स्नातक योग्यता के पदधारक शिक्षक सहित) अथवा स्नातक प्रशिक्षित सहायक शिक्षक, गणित एवं विज्ञान अथवा स्नातक प्रशिक्षित सहायक शिक्षक,, भाषा शिक्षक, मूल वेतनमान (रु. 9300–34800, ग्रेड पे.–4600/–, सप्तम् पुनरीक्षित **वेतनमान् स्तर – L/7**)।*

(*v*) **"ग्रेड–5"** से अभिप्रेत है, स्नातक प्रशिक्षित सहायक शिक्षक, वरीय वेतनमान् (रु. 9300–34800, ग्रेड पे. –4800/–, सप्तम् पुनरीक्षित **वेतनमान् स्तर – L/8**)।

(*vi*) **"ग्रेड–6"** से अभिप्रेत है, स्नातक प्रशिक्षित सहायक शिक्षक, प्रवरण वेतनमान् (रु. 9300–34800, ग्रेड पे. –5400/–, सप्तम् पुनरीक्षित **वेतनमान् स्तर – L/9**)।

(*vii*) **"ग्रेड–7"** से अभिप्रेत है, मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक का मूल वेतनमान् (रु. 9300–34800, ग्रेड पे–4800/–, सप्तम् पुनरीक्षित **वेतनमान् स्तर – L/8**)।

(*viii*) **"ग्रेड–8"** से अभिप्रेत है, मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक का वरीय वेतनमान् (रु. 9300–34800, ग्रेड पे.–5400/–, सप्तम् पुनरीक्षित **वेतनमान् स्तर – L/9**)।

प्रारंभिक शिक्षकों की प्रोन्नति/वित्तीय उनयन्न (वेतनमान) की शर्तें/कालावधि निम्नवत् है:–

(1) **ग्रेड–2 में प्रोन्नति के लिए** –
ग्रेड–1 में न्यूनतम 12 वर्ष की अटूट सेवा

(2) **ग्रेड–3 में प्रोन्नति के लिए** –स्नातक प्रशिक्षित तथा ग्रेड–2 में न्यूनतम 12 वर्ष की अटूट सेवा, अथवा, इंटर प्रशिक्षित तथा ग्रेड–2 में न्यूनतम 18 वर्ष की अटूट सेवा।

(3) **ग्रेड–4 में प्रोन्नति के लिए** –

स्नातक प्रशिक्षित तथा ग्रेड–2 एवं ग्रेड–3 में शिक्षक उपलब्ध नहीं होने के फलस्वरूप ग्रेड–1 से ग्रेड–4 में प्रोन्नति की स्थिति में ग्रेड–1 में न्यूनतम 8 वर्ष की अटूट सेवा एवं दिनांक 16.12.2014 के उपरांत नियुक्त शिक्षकों के मामले में उच्च प्राथमिक झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण।

(4) **ग्रेड–5 में प्रोन्नति के लिए** –

ग्रेड–4 में न्यूनतम 12 वर्ष की अटूट सेवा

(5) **ग्रेड–6 में प्रोन्नति के लिये** –

स्नातकोत्तर प्रशिक्षित तथा ग्रेड–5 में न्यूनतम 12 वर्ष की अटूट सेवा अथवा स्नातक प्रशिक्षित तथा ग्रेड–5 में न्यूनतम 18 वर्ष की अटूट सेवा,

(6) **ग्रेड–7 में प्रोन्नति के लिये** –

(*i*) स्नातकोत्तर प्रशिक्षित तथा ग्रेड–6 अथवा ग्रेड–5 में पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में निम्नांकित प्रावधान होंगे –

(*a*) कुल/शेष पदों के 50–50 प्रतिशत पद, स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान् (ग्रेड–4) में न्यूनतम् 05 वर्ष की अटूट सेवा पूर्ण करने वाले स्नातकोत्तर प्रशिक्षित योग्यताधारी प्रोन्नत एवं सीधे नियुक्त शिक्षकों की कोटि से भरे जाने हेतु उपलब्ध रहेंगे,

(*b*) सीधी भर्ती और प्रोन्नत शिक्षकों की परस्पर वरीयता, जो संबंधित कोटे की रिक्तियों के सापेक्ष नियुक्त किए जाते हैं, उनकी उस वर्ष के संदर्भ में गणना की जाएगी, जिसमें उनकी नियुक्ति हुई है,
अर्थात, जिस वर्ष में वे संवर्ग में आए हैं या उनकी औपचारिक नियुक्ति का आदेश जारी किया गया है। यदि, जिस मामले में भर्ती वर्ष व नियुक्ति वर्ष समान हैं, नियुक्त शिक्षकों को उस वर्ष की वरीयता दी जाएगी,

(*c*) जहां प्रोन्नति या सीधी भर्ती मामले में नियुक्ति का वर्ष अगले वर्ष या भर्ती वर्ष के बाद का कोई वर्ष है, ऐसे प्रोन्नत शिक्षकों या सीधी भर्ती की वरीयता का निर्धारण उनके उस पद पर वास्तविक कार्यभार/ नियुक्ति ग्रहण करने के वर्ष के संदर्भ में किया जाएगा, क्योंकि वे उस भर्ती वर्ष में कार्यभार ग्रहण करने में सक्षम नहीं थे, जिस वर्ष में रिक्ति हुई थी।

इस प्रकार, वे उस वर्ष की वरीयता प्राप्त करेंगे, जिस वर्ष में उन्होंने वास्तविक कार्यभार ग्रहण किया है, अर्थात् जिस वर्ष में औपचारिक नियुक्ति आदेश जारी हुआ है और वे सेवा/संवर्ग में रहे हैं तथा उन्हें उससे पहले के

किसी वर्ष की वरीयता नहीं दी जाएगी (यथा रिक्ति/पैनल का वर्ष या वह वर्ष, जिसमें भर्ती प्रक्रिया आरंभ की गई)।

(*d*) परस्पर वरीयता के निर्धारण के उद्देश्य से प्रोन्नत व सीधी भर्ती से आए व्यक्तियों के बीच रोटेशन किसी विशेष वर्ष में उपलब्ध सीधी भर्ती और प्रोन्नति से आए व्यक्तियों की सीमा तक ही किया जाएगा।

परस्पर वरीयता निर्धारण में कोटे के रोटेशन के उद्देश्य से **"उपलब्ध सीधी भर्ती अथवा प्रोन्नति"** पर आए व्यक्ति शब्द का अर्थ होगा, उस वर्ष के दौरान परिणाम/चयन की घोषणा और नियुक्ति पूर्व यथानिर्धारित औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद नियुक्त सीधी भर्ती या प्रोन्नति से आए व्यक्तियों की वास्तविक संख्या।

(*e*) उपर्युक्त (*d*) के अनुसार, यदि किसी विशेष वर्ष में पर्याप्त संख्या में सीधी भर्ती (या प्रोन्नत व्यक्ति) उपलब्ध नहीं होते हैं, तो परस्पर वरीयता निर्धारित करने के उद्देश्य से रोटेशन का क्रम उपलब्ध सीधी भर्ती और प्रोन्नत व्यक्तियों के उस वर्ष में उनकी नियुक्ति/कार्यभार ग्रहण करने पर उनके स्थान सौंपे जाने के बाद बंद हो जाएगा।

(*f*) यदि किसी विशेष वर्ष में कोई सीधी नियुक्ति उपलब्ध नहीं है, उपलब्ध प्रोन्नतों को प्रोन्नति के लिए अनुमोदित पैनल में उनकी पदस्थिति के अनुसार एक साथ समूह में रखा जाएगा।

(7) **ग्रेड–8 में प्रोन्नति के लिए –**

ग्रेड–7 में न्यूनतम 12 वर्ष की अटूट सेवा

एम०ए०सी०पी० हेतु निर्धारित शर्तें :–

(i) वित्त विभागीय संकल्प संख्या 2981 दिनांक 01.09.2009 के द्वारा राज्यकर्मियों को एम०ए०सी०पी० योजना के अंतर्गत पूरे सेवाकाल में तीन वित्तीय उन्नयन जो सीधी भर्ती से परिगणित होगा को क्रमशः 10, 20 एवं 30 वर्षों की सेवा पूरी करने के उपरांत देय है।

(ii) **वित्त विभागीय संकल्प संख्या 2981 दिनांक 01.09.2009 के परिशिष्ट–1 के कंडिका–16 में प्रावधान है कि एम०ए०सी०पी० योजना का लाभ राजकीयकृत विद्यालय/अल्पसंख्यक विद्यालयों के शिक्षकों/ यू०जी०सी०/ ए०आई०सी०टी०ई०/एन०सी०ई०आर०टी० आदि वेतनमान प्राप्त करने वाले शिक्षकों/पदाधिकारियों को देय नहीं है। उक्त के अतिरिक्त ऐसे कर्मी जिनके लिए अलग से किसी विशेष प्रोन्नति योजना**

का प्रावधान पूर्व से किया गया है। उन्हें भी एम०ए०सी०पी० योजना का लाभ देय नहीं है।

अतएव उक्त तथ्यों के आलोक में समिति के अनुशंसा के आधार पर निम्नवत् निर्णय लिए जाते हैं :—

- **राज्य के प्रारंभिक शिक्षकों को झारखंड राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक प्रोन्नति नियमावली 1993 वर्तमान में विभागीय अधिसूचना संख्या 909 दिनांक 01.07.2025 के समीक्षोपरांत पाया गया कि प्रारंभिक शिक्षकों को प्रोन्नति एवं कालावधि के फलस्वरूप उच्चतर वेतनमान का प्रावधान होने के कारण ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० की मांग वित्त विभाग के संकल्प संख्या 2981 दिनांक 01.09.2009 के आलोक में देय नहीं है।**
- **अतएव उक्त के आलोक में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षकों को ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० की योजना का लाभ देय नहीं है।**

24/07/26

(उमा शंकर सिंह)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक : 15/मु0—221/2023.. 218 विधि **/** **राँची दिनांक** 24/07/2026

प्रतिलिपि : निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/ सभी क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक, झारखण्ड/ सभी जिला शिक्षा अधीक्षक/ सभी संबंधित वादीगण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

24/07/26

(उमा शंकर सिंह)
सरकार के सचिव।